न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 21/2026 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

ट्रूहोम फाईनेंस लिमिटेड (पूर्व नाम श्रीराम हाऊसिंग लिमिटेड) जरिये अधिकृत प्रतिनिधि राजेश कुमार चौधरी
पंजीकृत कार्यालयः– Srinivasa Tower, 1st Floor, Door No. 5, Old No. 11, 2nd Lane, Cenatoph Road, Alwarpet, Teynampet, Chennai-600018, Tamilnadu
Head Office: Level-3, Wockhardt Tower, East Wing, C-2 Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai-400051
शाखा कार्यालयः– P.N.- 245-246, 2nd Floor, Omkar Tower, Hanuman Nagar-D, Amarpali Marg, Vaishali Nagar, Jaipur (Raj.) 302021

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **सुरेश कुमार सोनी पुत्र रिछपाल सोनी** ज्योती नगर, जी.आई.सी. के पास, जाट कॉलोनी, वार्ड नं. 42, सीकर, राज.–332001
2. **सीता सोनी पत्नि सुरेश कुमार सोनी** ज्योती नगर, जी.आई.सी. के पास, जाट कॉलोनी, वार्ड नं. 42, सीकर, राज.–332001
3. **पवन सोनी सुरेश कुमार सोनी** ज्योती नगर, जी.आई.सी. के पास, जाट कॉलोनी, वार्ड नं. 42, सीकर, राज.–332001

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांकः– 23 मार्च, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री** हरीश शर्मा-II द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **सुरेश कुमार सोनी पुत्र रिछपाल सोनी, सीता सोनी पत्नि सुरेश कुमार सोनी** एवं **पवन सोनी सुरेश कुमार सोनी** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति **अलोटमेंट नम्बर 2473 दिनांक 03.07.2006, वार्ड नं. 42 में स्थित समर्थपुरा खसरा नम्बर 124, जिला सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 279.69 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में प्लॉट नाभीदेवी, पश्चिम दिशा में प्लॉट किशन भाकर, उत्तर दिशा में प्लॉट मंगलराम मील एवं दक्षिण दिशा में रास्ता एवं प्लॉट भवानी देवी स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **₹41,62,279/– रूपये (अक्षरे रूपये इकतालीस लाख बासठ हजार दो सौ उनासी)** की ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **15.10.2025** के रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **15.10.2025 का** धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **सुरेश कुमार सोनी पुत्र रिछपाल सोनी, सीता सोनी पत्नि सुरेश कुमार सोनी** एवं **पवन सोनी सुरेश कुमार सोनी** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति **अलोटमेंट नम्बर 2473 दिनांक 03.07.2006, वार्ड नं. 42 में स्थित समर्थपुरा खसरा नम्बर 124, जिला सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 279.69 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में प्लॉट नाभीदेवी, पश्चिम दिशा में प्लॉट किशन भाकर, उत्तर दिशा में प्लॉट मंगलराम मील एवं दक्षिण दिशा में रास्ता एवं प्लॉट भवानी देवी स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

6. आदेश आज दिनांक **23 मार्च, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट,सीकर